में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि दग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 162,413,488,244 की भूमि को यथावत क्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 16.03.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 16.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 34 दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत रूपाथल में प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय/पक्षकारान् ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी महेन्द्रसिंह, हरेन्द्र सिंवर, सोहनी, भरत, सीताराम एवं गणपताराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि उपस्थित पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। अतः मौजा रूपाथल तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 162, 413, 488, 244 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रूपाथल तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 162, 413, 488, 244 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त 34 जरिये दिनांक 07.12.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण महेन्द्रसिंह, हरेन्द्र सिंवर, भरत सिंवर , सोहनी पत्नी गणपतराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रूपाथल का खेत खसरा नं. 162 रकबा 2.8166 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं. 413 रकबा 1.7887 हैक्टर सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 488 रकबा 3.0999 हैक्टर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूपाथल का खेत खसरा नंबर 244 रकबा 0.0890 हैक्टर सम्पूर्ण रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner